न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 805 / 2024
अनवान : –

1. रामकुमार पुत्र कलूराम जाति नायक निवासी गुडीया तहसील नोहर ।

– **वादी**

बनाम्

1. रामेश्वर पुत्र बिरबलराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. बलराम पुत्र सुरजाराम जाति धानक निवासी राजपूरीया तहसील नोहर।
3. विद्या पत्नी राजपाल जाति नायक निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
4. चन्द्रकला पत्नी राजेश जाति नायक निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 02/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मोजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 37 / 11 के कुल खसरे 11 की कुल 5.1610 है. भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

रोही मोजा 16 जेएसएन कें खाता संख्या 37 / 11 की कुल 5.1610 है. भूमि में से वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 से 0.506 है. भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 01.08.2019 को उपपंजीयक नोहर में पंजीयन करवाया था जो की तत्कालीन पटवारी हल्का को नामान्तकरण दर्ज करवाने बाबत् दिया गया परन्तु बैयनामा का नामान्तकरण दर्ज नही हुआ इसके पश्चात् उक्त खाता की कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी शेष भूमि में से 1.1638 है. भूमि का बैयनामा दिनांक 27.07.2021 को उपपंजीयक में प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के ब.हि.ब पंजीयन करवाया जिसका नामान्तकरण संख्या 791 दिनांक 05.08.2021 को स्वीकृत हुआ जो की सहवन से बैयनामा से अधिक भूमि 1.4287 है. भूमि यानि की प्रतिवादी संख्या 2 की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण दर्ज हो गया।

वादी ने उक्त खाता की जमाबन्दी केसीसी बनवाने के लिये निकलवाई तो पता चला की वादी के हिस्सा में 0.506 है. भूमि कम दर्ज है तो वादी ने रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की उससे पता चला की प्रतिवादी संख्या 2 के नाम उक्त खाता मे भूमि शेष नही रही है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के नाम 0.2649 है. [illegible] हो चुकी है। जबकी रोही मोजा 16 जेएसएन के खाता संख्या 37 / 11 [illegible] है. भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 01.08.2019 वा 1.1638 है. [illegible] दिनांक 27.07.2021 [illegible] से काबिज है व निंर्विवाद काश्त करता चला आ रहा है। वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:33:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मोजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 37/11 के कुल खसरे 11 की कुल 5.1610 है. भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।रोही मोजा 16 जेएसएन कें खाता संख्या 37/11 की कुल 5.1610 है. भूमि में से वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 से 0.506 है. भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 01.08.2019 को उपपंजीयक नोहर में पंजीयन करवाया था जो की तत्कालीन पटवारी हल्का को नामान्तकरण दर्ज करवाने बाबत् दिया गया परन्तु बैयनामा का नामान्तकरण दर्ज नही हुआ इसके पश्चात् उक्त खाता की कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी शेष भूमि में से 1.1638 है. भूमि का बैयनामा दिनांक 27.07.2021 को उपपंजीयक में प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के ब.हि.ब पंजीयन करवाया जिसका नामान्तकरण संख्या 791 दिनांक 05.08.2021 को स्वीकृत हुआ जो की सहवन से बैयनामा से अधिक भूमि 1.4287 है. भूमि यानि की प्रतिवादी संख्या 2 की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण दर्ज हो गया। वादी ने उक्त खाता की जमाबन्दी केसीसी बनवाने के लिये निकलवाई तो पता चला की वादी के हिस्सा में 0.506 है. भूमि कम दर्ज है तो वादी ने रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की उससे पता चला की प्रतिवादी संख्या 2 के नाम उक्त खाता मे भूमि शेष नही रही है तथा प्रतिवादी संख्या 3 [illegible] है. भूमि हक से अधिक दर्ज हो चुकी है। जबकी रोही मोजा 16 जेएसएन के [illegible] 5.1610 है. भूमि मे 0.506 है. भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 01.[illegible] है. भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 27.07.2021 की रूह से काबिज है व र्निविवाद काश्त करता चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:33:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 37/11 के कुल खसरे 11 की कुल 5.1610 है. भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी का कथन है कि रोही मोजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 37/11 के कुल खसरे 11 की कुल 5.1610 है. भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।रोही मोजा 16 जेएसएन कें खाता संख्या 37/11 की कुल 5.1610 है. भूमि में से वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 से 0.506 है. भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 01.08.2019 को उपपंजीयक नोहर में पंजीयन करवाया था जो की तत्कालीन पटवारी हल्का को नामान्तकरण दर्ज करवाने बाबत् दिया गया परन्तु बैयनामा का नामान्तकरण दर्ज नही हुआ इसके पश्चात् उक्त खाता की कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी शेष भूमि में से 1.1638 है. भूमि का बैयनामा दिनांक 27.07.2021 को उपपंजीयक में प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के ब.हि.ब पंजीयन करवाया जिसका नामान्तकरण संख्या 791 दिनांक 05.08.2021 को स्वीकृत हुआ जो की सहवन से बैयनामा से अधिक भूमि 1.4287 है. भूमि यानि की प्रतिवादी संख्या 2 की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण दर्ज हो गया। वादी ने उक्त खाता की जमाबन्दी केसीसी बनवाने के लिये निकलवाई तो पता चला की वादी के हिस्सा में 0.506 है. भूमि कम दर्ज है तो वादी ने रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की उससे पता चला की प्रतिवादी संख्या 2 के नाम उक्त खाता मे भूमि शेष नही रही है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के नाम 0.2649 है. भूमि हक से अधिक दर्ज हो चुकी है। जबकी रोही मोजा 16 जेएसएन के खाता संख्या 37/11 की कुल 5.1610 है. भूमि मे 0.506 है. भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 01.08.2019 वा 1.1638 है. भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 27.07.2021 की रूह से काबिज है व र्निविवाद काश्त करता चला आ रहा है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर यह तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 16 जेएसएन के खाता संख्या 37/11 के कुल खसरे 31 की 5.1610 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के नाम दर्ज भूमि में से 0.2649 है. भूमि कम की जाकर 0.253 है. भूमि का वादी को व 0.0119 है. भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:33:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

शेष भूमि पर रहन यथावत रखते हुए प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के यथावत रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से 0.253 है. भूमि वादी के नाम व शेष यथावत रखी जाकर वादी के नाम पूर्व में दर्ज भूमि में सम्मलित की जाकर व पूर्व में दर्ज पता 16 जेएसएन की बजाय गुडीया का संशोधन किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:33:49 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 805/2024

अनवान : –

1. रामकुमार पुत्र कलूराम जाति नायक निवासी गुडीया तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. रामेश्वर पुत्र बिरबलराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. बलराम पुत्र सुरजाराम जाति धानक निवासी राजपूरीया तहसील नोहर।
3. विद्या पत्नी राजपाल जाति नायक निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
4. चन्द्रकला पत्नी राजेश जाति नायक निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 805 सन 2024 निर्णय दिनांक 02/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 16 जेएसएन के खाता संख्या 37/11 के कुल खसरे 31 की 5.1610 है. भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के नाम दर्ज भूमि में से 0.2649 है. भूमि कम की जाकर 0.253 है. भूमि का वादी को व 0.0119 है. भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि पर रहन यथावत रखते हुए प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 के यथावत रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में से 0.253 है. भूमि वादी के नाम व शेष यथावत रखी जाकर वादी के नाम पूर्व में दर्ज भूमि में सम्मलित की जाकर व पूर्व में दर्ज पता 16 जेएसएन की बजाय गुडीया का संशोधन किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:33:49 IST
Reason: SelfAttested